

(भारत के राजपत्र के भाग-1। खण्ड 3 उपखण्ड(i) में प्रकाशनाथ)

सं० 20014/3/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
00000

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं..... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी

2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी०)

1. रोहिणी प्लाट

- (क) ईडब्ल्यूएस 26 व०मी०
(ख) एलआईजी 32 व०मी०
(ग) एमआईजी 60 व०मी०

4905.00 रु०
6193.00 रु०
10058.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)

3. आवासीय स्कीम

- (क) ईडब्ल्यूएस
(ख) एलआईजी
(ग) एमआईजी
(घ) एसएफएस

2577.00 रु०
3865.00 रु०
6441.00 रु०
7730.00 रु०

(फ्लैटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को जोड़ा जाय)

3. वैकल्पिक प्लाट

6193.00 रु०

(आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)

4. सीजीएचएस के लिए भूमि

7730.00 रु०

जे0जे0 स्क्वेटर्स
(पुनर्वास)

22.90 लाख रू0 प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के
स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी हैं ।

जोष वाथ गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुख्यालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।